भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5356
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

राजस्थान के लिए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते

5356. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित नए द्वि पक्षीय हवाई सेवा समझौतों का ब्यौरा क्या है जिसमें राजस्थान को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में शामिल किया गया है और किन अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने राज्य में प्रचालनों के विस्तार में रूचि दिखाई है;

(ख) क्या सरकार को सिंगापुर सहित विदेशी विमान कंपनियों से राजस्थान तक और वहां से उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने के संबंध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अनुरोधों की समीक्षा करने में किन-किन कारकों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) राजस्थान के लिए विस्तारित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों विशेषकर पर्यटन, व्यापार और निवेश के संदर्भ में संभावित आर्थकि लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को प्रचालन हेतु आकर्षति करने के लिए किन्हीं विशेष उपबंधों अथवा प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) एयरलाइनों के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, भारत और संबंधित देश के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा शासित होते हैं। एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक परस्पर सहमत क्षमता सीमाओं के अनुसार राजस्थान के हवाईअड्डों सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों से/हवाईअड्डों के लिए विदेशी गंतव्यों तक परिचालन करने हेतु स्वतंत्र हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में किसी बिंदु से/बिंदु के लिए परिचालन कर सकती है, यदि उसे एएसए में प्वॉइंट ऑफ कॉल (पीओसी) के रूप में नामित किया गया हो।

वर्तमान में, भारत सरकार, भारतीय वाहकों द्वारा गैर-मेट्रो बिंदुओं से सीधे या अपने स्वयं के घरेलू परिचालनों के माध्यम से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, किसी भी अन्य देश को राजस्थान में स्थलों सहित नए गैर-मेट्रो स्थलों को एएसए में पीओसी के रूप में नहीं दिया जा रहा है।

राजस्थान में जयपुर, सिंगापुर सहित कुछ देशों के लिए पीओसी के रूप में उपलब्ध है। सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए सक्षम वातावरण तैयार किया है, लेकिन यह एयरलाइनों की परिचालन योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। एयरलाइनें द्विपक्षीय समझौतों के दायरे में सेवा प्रदान करने और परिचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए

स्वतंत्र हैं। एयरलाइनें यात्रियों की माँग, स्लॉट की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर विशिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएँ प्रदान करती हैं।

*****